

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

:- 90 / 2023

तारीखरजु:- 29.8.23

उनवान:- मिश्रया बनाम मंगल वगै०
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के नोटिस जरिए तहसीलदार टोडाभीम तलब होकर पत्रावली दिनांक 22.09.2023 को पेश हो।

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

22/9/23 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी सुनील कुमार ने पत्रावली पेश है। गतानुसार दिनांक 11.10.23 को पेश हो।

11/10/23 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी सुनील कुमार ने पत्रावली पेश है। गतानुसार दिनांक 08.12.23 को पेश हो।

01/12/23 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी सुनील कुमार ने पत्रावली पेश है। गतानुसार दिनांक 02.12.24 को पेश हो।

24/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न। लगां 13 की ओर से श्री रामचरोषी गुप्ता एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शाश्वत पत्रावली रहे। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 11.3.24 को पेश हो।



